हरियाणा सरकार
शहरी स्थानीय निकाय विभाग
अधिसूचना

दिनांक 20.02.2017

संख्या 2/4/2017- आर0 II –हरियाणा नगर निगम उप–विधियां, 2016 में निम्नलिखित संशोधन प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम 16) की धारा 392–छ के खण्ड (16) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 394 के अधीन यथा अपेक्षित उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करने का प्रस्ताव करते हैं जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से सात दिन की समाप्ति पर अथवा इसके पश्चात् राज्य सरकार, संशोधन प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों अथवा सुझावों, यदि कोई हो सहित, जो प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, चण्डीगढ द्वारा लिखित रूप में किसी व्यक्ति से निम्नलिखित संशोधन प्रारूप के संम्बन्ध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किया जाए, विचार करेगी।

प्रारूप उप–विधियां

1 ये उप–विधियां हरियाणा नगर निगम विज्ञापन (संशोधन) उप–विधियां, 2017, कही जा सकती है।

2 हरियाणा नगर निगम विज्ञापन उप–विधियां, 2016 (जिन्हें, इसमे, इसके बाद, उक्त उप–विधियां कहा गया है) में, उप–विधि–2 में, खण्ड (1) में,-

(i) उप–खण्ड (i) के बाद, निम्नलिखित, उप–खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्,–

"(i-क) **'अभिस्वीकृति ओ.एम.डी'** से अभिप्राय होगा, ओ.एम.डी जो सड़क से सम्बन्धित सेवा जैसे कि रेलिंग, मध्यम पौधारोपण, गोलचक्कर सोन्दर्यकरण का रखरखाव मुहैया कराने के लिए हिस्सेदार को स्वीकार करता है;";

(ii) उप–खण्ड (xi) के बाद, निम्नलिखित, उप–खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्,–

"(xi-क) **'भूमि ओ.एम.डी'** से अभिप्राय होगा, भवन से पृथक, अस्थाई ढांचे, भूमि पर लगी/जड़ित बाढ़ स्क्रीन तथा पर निर्मित या चित्रित, स्वत–विज्ञापन के प्रयोजन के लिए जनता को दृश्य ओ.एम.डी;";

(iii) उप–खण्ड (xv) के बाद, निम्नलिखित, उप–खण्ड रखा जाएगा अर्थात्,–

"(xv-क) **'शामियाना ओ.एम.डी'** से अभिप्राय होगा, किसी शामियाना छतरी से लगी या लटकाई हुई या भवन से प्रक्षेपी तथा द्वारा समर्थित अन्य आच्छादित ढांचे तथा भवन दीवार, भवन लाईन से परे बड़ी कोई ओ.एम.डी;";

(iv) उप–खण्ड (xxx) के बाद, निम्नलिखित, उप–खण्ड रखा जाएगा अर्थात्,–

"(xxx-क) **'यूनिपोल'** से अभिप्राय है, किसी विज्ञापन पैनल के रूप में विज्ञापन के लिए विशाल स्थल सहित ओ.एम.डी तथा जहां ऐसा पैनल भूमि पर उसकी नींव सहित एक ही खम्बे पर तैयार किया गया है;"।

3 उक्त उप–विधियों में, उप–विधि 3 के स्थान पर, निम्नलिखित उप–विधि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्,:–

"3 **रजिस्ट्रेशन** (1) केवल स्वामी/ अभिकरण, **अनुबन्ध–1** में यथा प्रदर्शित ऑनलाइन प्रकिया का प्रयोग करते हुए नगर निगम के पास स्वयं को रजिस्टर करते हुए नगर निगम से ओ.एम.डी लगाने की अनुज्ञा मांगेगा;

(2) यह रजिस्ट्रेशन उन स्वामी/ अभिकरण जो **अनुबन्ध–1** में यथा प्रदर्शित आनलाइन प्रकिया का प्रयोग करते हुए अपने परिसरों पर ओ.एम.डी लगाना चाहते हैं, के लिए अनिवार्य है।

(3) रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन की तिथि से उन स्वामियों/ अभिकरणों के लिए छः वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा जो ओ.एम.डी लगाना चाहते हैं।

(4) रजिस्टर्ड संस्था ऐसी रजिस्ट्रेशन फीस जो सरकार समय–समय पर, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, जमा करवाएगी।

(5) स्वतः–विज्ञापन **अनुसूची – 1** में कथित शर्तों के अध्यधीन नगर निगम में अपने आपको रजिस्टर कराने से छूट प्राप्त है।"।

4 उक्त उप–विधियों में, उप–विधि 6 में,–

(i) खण्ड (3) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,–

"(3) अनुमोदन नीचे यथा उपवर्णित अधिकतम अवधि के लिए होगाा–

(i) किस्म क तथा किस्म ख : सम्बन्धित सरकारी अभिकरण तथा सम्बन्धित अभिकरण के बीच करार अवधि के समकक्ष, तीन वर्ष के अधिकतम सीमा सहित;

(ii) किस्म ग, किस्म घ : 3 वर्ष;

(iii) किस्म ङ : तीन वर्ष के अधिकतम सीमा सहित, मामले से मामले के आधार पर यथा विनिर्दिष्ट;

(iv) किस्म च : तीन वर्ष के अधिकतम सीमा सहित, मामले से मामले के आधार पर यथा विनिर्दिष्ट;

(v) किस्म छ/स्वतः विज्ञापनः कोई प्रतिबन्ध नही;

(vi) किस्म ज : तीन वर्ष के अधिकतम सीमा सहित, मामले से मामले के आधार पर यथा विनिर्दिष्ट;

(vii) किस्म झः तीन वर्ष;

(viii) किस्म ञ : तीन वर्ष।";

(ii) खण्ड (8) के बाद, निम्नलिखित, खण्ड रखा जायेगा, अर्थात्,–

"(8-क) नगर निगम द्वारा निष्पादित/प्रदान की गई ओ.एम.डी की किस्म के लिए सभी संविदात्मक करार/निविदाएं तथा उप–विधि 6(3) में कथित समय अवधि, कलैण्डर वर्ष की समाप्ति अर्थात् 31 दिसम्बर तक होगी तथा नया करार/नई निविदा नए कलैण्डर वर्ष अर्थात् प्रथम जनवरी से शुरू होगी।

टिप्पणः 1. निजी भूमि/ सम्पत्ति पर ओ.एम.डी कथित समय सीमा का पालन करने के लिए दायी होगी।

2. कलैण्डर वर्ष के बीच में समाप्त होने वाले सभी वर्तमान संविदा करार नगर निगम को राजस्व हानि से बचाने के लिए उसी कलैण्डर वर्ष की समाप्ति तक (संशोधित दरों सहित) विस्तारित किए जा सकते हैं जैसा कि नए अभिकरण को नए संविदा करार नए कलैण्डर वर्ष से दिए जाएंगे।"।

5 उक्त उप–विधियों में, उप–विधि 11 में, खण्ड (1) मे, उप–खण्ड (viii), (ix) तथा (x) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–खण्ड प्रतिस्थापित किए जायेगे, अर्थात्,–

(viii) स्थिर खोका (कियोस्क) या ठेलों पर फेरीवालों के लिए मीडिया साधन; तथा

(ix) साईकिल रिक्शा।"।

6 उक्त उप–विधियों में, उप–विधि 12 में, खण्ड (1) में,–

(i) "विज्ञापन पर" शब्दों के स्थान पर, "विज्ञापन पर/में" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप–खण्ड (i) के बाद, निम्नलिखित उप–खण्ड रखा जांएगे, अर्थात्,–

"(i–क) अनुसूची–1 में कथित शर्तो के अध्यधीन, आवासीय क्षेत्र;

"(**i**–ख) अनुसूची–1 में कथित शर्तो के अध्यधीन, राष्ट्रीय राजमार्ग / राजकीय राजमार्ग;"।

7 उक्त उप–विधियों में, उप–विधि 13 के स्थान पर, निम्नलिखित उप–विधि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"(2) नगर पालिका भूमि / सम्पत्तियों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए अनुमति समय–समय पर सरकार द्वारा जारी ई–निविदा / ई–नीलामी की पॉलिसी के अनुसार सम्पूर्ण या भाग रूप में किसी नगर / शहर के लिए ई–निविदा / ई–नीलामी आमन्त्रित करते हुए प्रदान की जाएगी। स्थानीय सम्बन्धित अधिकारियों सहित आयुक्त, नगर निगम की अध्यक्षता में समिति द्वारा यथा निश्चित आरक्षित मूल्य से कम दरें उद्धृत करने वाली कोई निविदा स्वीकृत नहीं की जाएगी। समिति अन्य पैरामीटरों में से निम्नलिखित के आधार पर आरक्षित मूल्य निश्चित करेगी :–

(i) स्थल की अवस्थिति,
(ii) विज्ञापन बोर्ड / बैनर के आकार,
(iii) अभिभावी बाजार दर,
(iv) पिछला राजस्व संग्रहण, तथा
(v) स्थलों की संख्या।

टिप्पण: ई–निविदा / ई–नीलामी समय–समय पर सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार की जाएगी।

(3) विज्ञापन अधिकार **उप–विधि** 6 में कथित की गई अवधि के लिए दिए जाएंगे। यह तीन मास के नोटिस पर समापनीय होंगे। संविदा करार के निबन्धनों तथा शर्तो की चूक की दशा में, यह तुरन्त समापनीय होगा।

(4) सरकारी विभाग / बोर्डो / निगमों द्वारा प्रदर्शित विज्ञापन, समाज कल्याण स्कीमों / सन्देशों तथा विभिन्न अन्य विकास पॉलिसियों के प्रचार के लिए होर्डिंग / विज्ञापन / बैनरों को संविदा के क्षेत्र से निकाल दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, आबंटिती उक्त सरकारी विज्ञापनों / प्रचार के लिए कुल विज्ञापन स्थल का 15 प्रतिशत आरक्षित रखेगा। इन सरकारी विज्ञापनों के लिए अनुज्ञप्तिधारी को कोई भी फीस / राजस्व भुगतानयोग्य नहीं होगा।

(5) यदि सरकारी विभाग / बोर्ड / निगम स्वयं इन परिसरों में ओ.एम.डी लगाना चाहते हैं, तो अनुमति नगर निगम से ली जानी अपेक्षित है तथा उत्पन्न राजस्व पारस्परिक करार के अनुसार सम्बद्व विभाग तथा नगर निगम बीच में बांटा जाएगा। आगे, उक्त विभाग / बोर्ड / निगम सुनिश्चित करेगा कि केवल रजिस्टर्ड हस्ती को ही इसके परिसरों पर विज्ञापन लगाने की अनुमति दी जाएगी।

(6) विभिन्न विभाग अपनी भूमि / साधनों / वाहनों के लिए विज्ञापन मांगने के इच्छुक इस पॉलिसी के उपबन्धों के कड़े पालन से ऐसा कर सकेंगे।

(7) विज्ञापन संविदा विभिन्न विभागों जैसे कि बस आश्रय के लिए परिवहन, हुड्डा / एच.एस आई.आई.डी.सी इत्यादि द्वारा अनुरक्षित क्षेत्रों को, दी गई सभी बी.ओ.टी (निर्माण परिचालन अन्तरण) स्कीम, संविदाएं निकाली जा सकती हैं।

(8) नगर निगम बी.ओ.टी (निर्माण प्रचालन अन्तरण) आधार पर नागरिक सुखसुविधाओं (स्ट्रीट लाईट, सार्वजनिक शौचालय, वृक्ष जंगला, गली फर्नीचर इत्यादि) के निर्माण, संचालन तथा अनुरक्षण के बदले में संगठन को विज्ञापन अधिकार भी प्रदान कर सकता है।

(9) बी.ओ.टी प्रबन्ध के मामले में, ग्राही / विज्ञापक सुविधा के अनुरक्षण तथा चलाने के लिए जिम्मेवार होगा तथा विज्ञापन जब तक अनुज्ञात नहीं किए जाएंगे तब तक सुविधा पूर्ण रूप से कियाशील नहीं हैं।

(10) यदि, जहां ओ.एम.डी नगर निगम / सरकारी विभाग की भूमि तथा प्राईवेट भू–स्वामी के नज़दीक परिसरों में आता है, तो सरकारी भूमि पर ओ.एम.डी को अधिमान दिया जाएगा।"।

8 उक्त उप–विधियों में, उप–विधि 14 में, "परिमाप" शब्द के स्थान पर, "परिमापों/ विशिष्टियों" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगें।

9 उक्त उप–विधियों में, उप–विधि 15 में, खण्ड (5), के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे अर्थात,:–

"(6) यदि, रजिस्टर्ड हस्ती ओ.एम.डी में पर्यावरण अनुकूल यन्त्र जैसे कि सोलर फोटोवोल्टेक प्लांट, पर्यावरण अनुकूल सामग्री इत्यादि का प्रयोग करती है, तो नगर निगम लाईसेंस फीस में 5 प्रतिशत का प्रोत्साहन प्रदान करेगा।

(7) नगर निगम प्रत्येक वर्ष बाजार स्थिति को अनुसार लाईसेंस फीस संशेधित करने के लिए प्रस्ताव तैयार करेगा तथा अनुमोदन के लिए सरकार को भेजेगा।"।

10 उक्त उप–विधियों में, उप–विधि 17 में,–

(i) खण्ड (2) में, अंत में, "अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट शास्ति लगेगी" शब्दों के स्थान पर, "जो सरकार, समय–समय पर, आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे शास्ति लगेगी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा

(ii) खण्ड (9) में, "अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट" शब्दों के स्थान पर, "जो सरकार, समय–समय पर, आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

11 उक्त उप–विधियों में, उप–विधि 22 में,–

(i) खण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

"22(1) जो कोई इन उप–विधियों के उपबन्धों में से किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो वह लाईसेंस फीस के तीन गुणा जुर्माने / शास्ति के लिए दायी होगा जैसा सरकार, आदेश द्वारा, समय–समय पर, विनिर्दिष्ट करे।"

(ii) खण्ड (3) में, "अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट जुर्माने / शास्ति के लिए दायी होगा", शब्दों के स्थान पर, "ऐसे जुर्माने / शास्ति के लिए दायी होगा, जो सरकार, समय–समय पर, आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

12 उक्त उप–विधियों में, अनुबन्ध 5 में, मद "घ.1" तथा उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद तथा प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्,:–

"घ.1 यूनिपोल, सूचनापट्ट, भवन बोर्ड, दीवार, आवरण, बहुविध ओ.एम.डी, गैंत्री"

13 उक्त उप–विधियों में, अनुबन्ध 6 मे, कम संख्या 5 के स्थान पर, निम्नलिखित कम संख्या प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्,–

5. **वचनग्रहीता – 1** या / तथा **वचनग्रहीता – 2** इसके द्वारा आगे सहमत है तथा वचन देते हैं कि वे नगर निगम .... द्वारा उनके विरूद्ध किए गए किसी दावे, शास्ति, वाद तथा दायित्वों के लिए संयुक्त रूप से दायी होंगे।

14 उक्त उप–विधियों में, अनुसूची–1 के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्,:–

"अनुसूची–1

{देखिए उप–विधि 3 (5), 12 (i–क), (ix–क) तथा 14)

सामान्य अनुज्ञा मानदण्ड– बाहरी मीडिया साधन

1. यातायात बाधा सम्भाव्य निर्भरता

(1) ओ.एम.डी यातायात बाधा सम्भाव्य निम्नलिखित पर निर्भर है:–

(i) स्थल अवस्थिति: सड़क से ओ.एम.डी की अवस्थिति जो सड़क के किनारे से पार्श्व तथा देशान्तरीय अपसरण के

निबन्धनों के अनुसार मापी गई है। सामान्यतः बाधा को कम करने के लिये साधन सडक से दूर है;

(ii) ओ.एम.डी का आकार;

(iii) ओ.एम.डी का संदीप्ति स्तर; तथा

(iv) अप्रकाश्यता तथा अन्य ऐसे सम्बन्धित विषय।

(2) विज्ञापन साधन को यातायात बाधा माना जा सकता है, यदि यह सड़क सुरक्षा या यातायात दक्षता में बाधा डालता है।

(i) यदि यह यातायात नियन्त्रण साधन (अर्थात् यातायात प्रकाश, ठहराव या रास्ता संकेत देना) की प्रभावकारिता में बाधा डालता है।

(ii) संकटमय समय पर चालक का ध्यान भंग करता है (अर्थात् चौराहे पर निर्णय लेने में)।

(iii) सड़क बाधा में चालक की नजर को धुधंला करता है (अर्थात् सड़क के कोने या मोड़ पर)।

(iv) 'रूकने', 'ठहराव' या अन्य में यातायात के लिए हिदायतें देता है (अर्थात् रास्ता देना या विलीन होना)।

(v) यातायात नियन्त्रण साधन का अनुकरण करना।

(vi) क्या सड़क या अन्य अवसंरचना, यातायात, पैदलयात्रियों, साईकिल चालकों या अन्य सड़क उपभोक्ताओं के लिए खतरनाक बाधा डालता है।

(vii) क्या ऐसे क्षेत्र में हैं जहां कहीं अनेक साधन हैं तथा उन साधनों का प्रभाव सामान्य रूप से खतरनाक है।

(viii) यदि ऐसे स्थान पर स्थित है जहां सड़क स्थिति के कारण चालक की एकाग्रता की मांग मुख्य है जैसा कि मुख्य चौराहे या विलीन होने तथा अटकने वाले पथ पर।

(ix) यदि यह नगर निगम की भवन उप–विधियों का उल्लंघन करता है।

(3) उपर्युक्त के अतिरिक्त, अतिरिक्त चालक ध्यान तथा निर्णय करना निम्नलिखित में अपेक्षित हैः–

(i) उच्च गति में मोड़ना, विलीन होना या टेढे–मेढे चलना चौराहे पर जैसे कि 'Y' चौराहा या बड़े उच्च गति चक्कर;

(ii) चौराहे के आस–पड़ोस में जहां सम्पूर्ण पथ विलीन हो जाता है तथा जहां वाहनों का उच्चतर गति में विलीन होना अपेक्षित है (अर्थात् जहां ''जाल पथ'' चौराहे से पहुंच मार्ग, या से निकास को सृजित करता है तथा जहां विभाजित मोटर रास्ता दो सड़कों में बन जाता है);

(iii) सड़क के चौराहे या काट जो पथ की आकृति या ज्यामिति के कारण, चालक एकाग्रता के स्तर में वृद्धि के लिए जरूरी हो सकती है (अर्थात् पांच–रास्ता चौराहे, पीछे से पीछे सपाट मोड़);

(iv) विभाजित सड़क के बाहरी मोड. पर जहां विज्ञापन वाहन रास्ते के सामने के यातायात को र्निदेशित करता है तथा ज्यामिति, कोण या अन्य घटक इसे आपत्तिजनक बनाते हैं;

(v) सडक को विभाजित करने वाले यातायात संकेत, दिशात्मक चिह्न, विनियामक तथा सलाहकारी चिह्न का प्रदर्शन करना जो कि (जब एक मात्र रूप से या संयोजन से माने गये है) महत्वपूर्ण रूप से अधिक असदृश या पेचीदा के रूप में मान लिए गये है, तो वे सामान्यतः प्रत्याशित होंगे (इन चौराहों पर यह प्रत्याशित होगा कि यातायात नियन्त्रण साधन (साधनों) की अपेक्षित अध्ययनता तथा व्याख्या अवधि सार्थक रूप से लम्बी होगी;

(vi) सड़क की काट जहां पूर्ववत वाहन टक्कर सामान्य प्रणाली से उच्चतर है;

(vii) पैदल यात्रियों के लिए क्रासिंग सुविधाएं; तथा

(viii) विद्यालय, अस्पताल।

2. ओ.एम.डी. स्थान चयन मानदण्ड

(1) स्थान चयन के मानदण्ड में निम्नलिखित शामिल हैं :–

(i) ओ.एम.डी का पार्श्व स्थापना (जो गुमराह वाहन तथा सरकारी यातायात चिह्नों की वास्तविकता की सम्भावय बाधा को प्रभावित करता है), तथा

(ii) निर्दिष्ट यातायात स्थिति तथा सरकारी यातायात चिह्न, सड़क विशेषता तथा अन्य ओ.एम.डी (जो दृश्य दूरी तथा चालक घबराहट को प्रभावित करता है) से संबंधित ओ.एम.डी का देशान्तरीय स्थापन (चालक घबराहट नियन्त्रण)।

(2) पार्श्व स्थापना

(i) विज्ञापन मध्यम रेखा में अनुमत नहीं है क्योंकि इन क्षेत्रों को महत्वपूर्ण यातायात नियन्त्रण साधनों से अलग रखा गया है।

(ii) ओ.एम.डी यातायात टापू (आईजलैण्ड) पर अनुमत नहीं होगा।

(iii) जहां वाहन रास्ते इतने अधिक भटकाऊ है कि उस पर आने वाला यातायात स्थलाकृति या सधन पेड–पौधे के कारण दृश्य (स्पष्ट) नहीं है।

(3) देशान्तरीय स्थापना (चालक घबराहट नियन्त्रण)

(i) देशान्तरीय स्थापना ओ.एम.डी तथा यातायात प्रतिकूल बिन्दु, सरकारी यातायात चिह्न तथा अन्य ओ.एम.डी (अर्थात् विज्ञापन सधनता को कम करना) के बीच न्यूनतम दूरी को प्रदर्शित करता है।

(ii) ओ.एम.डी के स्थापन द्वारा यातायात के बहाव को सुकर बनाने तथा द्वारा हुये किसी यातायात बाधा से बचने के लिए किसी साधन के देशान्तरीय स्थापन को अन्तिम रूप देते समय निम्नलिखित का अनुपालन किया जायेगा, ओ.एम.डी ने स्थापना के लिए दूरी मुख्य वाहन रास्ते या जंकशन (संयोजन), चौराहे, गोल चक्कर इत्यादि से मापी जाएगी।

(4) पार्श्वीय तथा देशान्तरीय–स्थल चयन मापदण्ड

(i) **पार्श्वीय मापदण्ड**

ओ.एम.डी के पार्श्वीय व्यवस्था के लिए स्थल चयन मापदण्ड

	आर.ओ.डब्लयू सहित सड़क की चौड़ाई 1 (W)	सड़क के आर.ओ.डब्ल्यू से ओ.एम.डी तक न्यूनतम पार्श्वीय सीधी स्पष्ट दूरी	मोड़ कारक (यदि) सड़क पर मोड़ है)	सड़क के आर.ओ.डब्ल्यू से ओ.एम.डी तक न्यूनतम पार्श्वीय सीधी स्पष्ट दूरी (यदि सड़क पर मोड़ है)
	1	2	3	4
(i)	W	W का एक तिहाई	1.5	1.5 x W का एक तिहाई
अर्थात्	W = 60 मीटर	1/3 x 60 = 20 मीटर	1.5	1.5 x 1/3(60) = 30 मीटर

(क.) यदि नगरपालिका सड़क का आर.ओ.डब्ल्यू 20 मीटर से कम है, तो ओ.एम.डी परिवहन मार्ग के समानान्तर लगाया जाएगा तथा इसका आकार अनुसूची–1 के खण्ड 10 में कथित चित्रण तक प्रतिबन्धित है।

(ख.) उपर बताई गई पार्श्वीय दूरी आर.ओ.डब्ल्यू के किनारे से ओ.एम.डी के निकटतम किनारे तक स्पष्ट दूरी है तथा किसी भी मामले में ओ.एम.डी का कोई भाग आर.ओ. डब्ल्यू पर नहीं डाला जाएगा।

(ii) **देशान्तरीय मापदण्ड**

ओ.एम.डी के देशान्तरीय व्यवस्था के लिए स्थल चयन मापदण्ड

	50 किलोमीटर/प्रति घंटा तक की अधिसूचित गति के लिए सड़क के साथ दो ओ.एम.डी के बीच न्यूनतम देशान्तरीय सीधी स्पष्ट दूरी	गति कारक (यदि सड़क की अधिसूचित गति 50 किलोमीटर/ प्रति घंटा से उच्चतर है)	सड़क के साथ दो ओ.एम.डी के बीच न्यूनतम देशान्तरीय सीधी स्पष्ट दूरी (यदि अधिसूचित गति 50 किलोमीटर/ प्रति घंटा से उच्चतर है)
	1	2	3
(i)	150 मीटर	i. 60 किलोमीटर प्रति घंटा = 1.2 ii. 80 किलोमीटर प्रति घंटा = 1.5 iii. 100 किलोमीटर प्रति घंटा = 1.8	i. 150 x 1.2 = 180 मीटर ii. 150 x 1.5 = 225 मीटर iii. 150 x 1.8 = 270 मीटर

(iii) किसी सड़क संयोजन (जंकशन), यातायात चौराहे या अन्य क्रासिंग (चौराहे) के 75 मीटर के भीतर ओ.एम.डी अनुमत नहीं है। दूरी सड़क के किनारे से मापी जाएगी तथा सड़क संयोजन (जंकशन), यातायात चौराहे या क्रासिंग (चौराहे) के केन्द्र से नहीं मापी जाएगी।

(iv) यातायात के विनियमन के लिए निर्मित किसी यातायात सूचना–पट्ट के 75 मीटर के भीतर ओ.एम.डी अनुमत नहीं है।

(v) गोलचक्कर (राउंडअबाउट) (परिवहन मार्ग सहित) के बाहरी विस्तार (चौड़ाई) से मापे गए 100 मीटर से कम के ब्यास के गोल चक्कर पर ओ.एम.डी अनुमत नहीं है।

(vi) गोलचक्कर (परिवहन मार्ग सहित) के बाहरी विस्तार (चौड़ाई) से मापे गए 100 मीटर तथा से अधिक व्यास के गोल चक्कर पर ओ.एम.डी परिवहन मार्ग के किनारे से 15 मीटर की स्पष्ट दूरी पर अनुमत हैं।

(vii) जहां पार्श्व स्थापन अपेक्षाएं तथा चालक घबराहट अपेक्षाएं किसी विशेष निर्बन्धन दूरी, द्वारा मुहैया कराई गई है, तो वृहतर मान्यताओं का प्रयोग किया जाएगा।

(viii) जब दो (2) ओ.एम.डी इकटठे स्थित है, अपने साधारण रूप में भिन्न है, तो चालक ध्यान–भंग सम्भाव्यता दोनों यन्त्रों को साथ–साथ विचारते हुए अवधारित की जाएगी।

(ix) विभिन्न किस्म के दो ओ एम डी के बीच एकमात्रता को बनाए रखने के लिए भिन्न किस्म की दो ओ एम डी के बीच न्यूनतम दूरी 150 मीटर से कम नही होगी।

(x) यदि ओ.एम.डी एक सड़क से अधिक से दृश्य है या सड़क की किस्म (जैसे कि मोटरमार्ग या मोटरमार्ग मानक सड़क तथा रैम्प या अन्य सड़क) प्रत्येक सड़क या सड़क की किस्म को लागू निर्बन्धन ओ.एम.डी सुस्पष्ट है, तो उसे निर्धारित करना चाहिए।

(5) ओ.एम.डी की भौतिक विशेषता

(i) भौतिक विशेषता पर नियन्त्रण के उपयोग को चालक घबराहट के स्तर को कम करना आशयित है। बाहरी मीडिया साधन की भौतिक विशेषताओं का नियन्त्रण निम्नलिखित से सम्बन्धित हैः
(क.) आकार तथा आकृति
(ख.) रंग
(ग.) चित्रावली तथा संदीप्ति
(घ.) संचलन तथा चक्रानुक्रम
(ड.) ओ.एम.डी विषय–वस्तु

(ii) आकार तथा आकृति
(क.) ओ.एम.डी ऐसी आकृति का प्रयोग नहीं करेगा जो संभवतः किसी ओ.एम.डी से सरकारी यातायात चिह्न की वास्तविकता के लिए भ्रान्तिपूर्ण होने का परिणाम हो सकता हो।
(ख.) भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा आई आर सीः 67–200/सड़क चिह्न की प्रक्रिया की संहिता सरकारी यातायात चिह्न के मूल डिजाईन पैरामीटरों को विहित करती है तथा इसमें मानक संकेतः वाक्य/ अप्रकाश्यता रंग संयोजन शामिल है।

(iii) रंग
(क.) ओ.एम.डी ऐसे रंग संयोजन (सम्मिश्रण) का प्रयोग नहीं करेंगे जो संभवतः सरकारी यातायात चिह्न के भ्रान्तिपूर्ण होने का परिणाम हो।
(ख.) भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा आई आर सीः 67–200/सड़क चिह्न की प्रक्रिया की संहिता सरकारी यातायात चिह्न के मूल डिजाईन पैरामीटरों को विहित करती है तथा इसमें मानक संकेत वाक्य/ अप्रकाश्यता रंग संयोजन शामिल है।

(iv) चित्रावली तथा संदीप्ति
(क.) ओ.एम.डी भड़कीले लाल, नीले या अम्बर बिन्दु प्रकाश स्त्रोत के बराबर नहीं होगा जो, जब सड़क से देखने पर, आपातकालीन सेवा या वाहन चेतावनी प्रकाश के अन्य विशेष प्रयोजन का आभास दे सकता है।
(ख.) ओ.एम.डी से सम्बद्ध सभी प्रकाश केवल ओ.एम.डी तथा इसके ठीक आस–पास को निर्देशित करेंगे।
(ग.) बाहरी चित्रावली स्त्रोतों को यह सुनिश्चित करने के लिए कवच किया जाएगा की बाहरी "स्थान" प्रकाश स्रोत पास आने वाले मोटरचालक पर निर्दिष्ट न हो।
(घ.) ओ.एम.डी की चित्रावली या उसके सम्पूर्ण भाग को छिपाया जाना है।
(ड.) साधन के ऊपरी प्रकाश/ निर्देश को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, किसी बाहरी प्रकाश निंदेश को नीचे का ओर किया जाना है तथा ओ.एम.डी से बाहर प्रकाश को रोकने या प्रकाश को कम करने के लिए ओ.एम.डी पर सीधे रूप से फोकस किया जाना है।
(च.) किसी प्रकाश स्रोत को कवच किया जाएगा ताकि चकाचौंध ओ.एम.डी से बाहर न फैले।
(छ.) गैर–स्थैतिक प्रदीप्त ओ.एम.डी (कोंधवती) अनुमत नहीं हैं।
(ज.) सामान्य अनुरक्षित संदीप्ति को 0.5 दीपाधार तक कम किया जाएगा या 2300 बजे (11 बजे सायं) के बाद तथा स्वतः समय यन्त्र द्वारा सूर्योदय के बाद या समय–समय पर नगर निगम द्वारा यथा विनिर्दिष्ट समय के बाद बन्द किया जाएगा।
(झ.) पूर्व परावर्तक सामग्री वाले ओ.एम.डी के चमकीले परावर्तन को कम करने के उद्देश्य से वाहन हैडलाइट बीम की साधारण रेखा से लगभग 5 डिग्री दूर से घुमाया जाएगा।

(v) संचलन तथा चक्रानुक्रम

(क.) गतिमान प्रदर्शन बाहरी उद्दीपक से मोटरचालक के उत्तर समय पर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण व्याकुलता प्रभाव डालता है। गतिमान, आवर्ती या परिवर्तनशील संदेश ओ एम डी केवल बाजार स्थान, पार्किगं स्थलों तथा अन्य सार्विजनिक स्थ्लों पर अनुमत है, जहां कहीं केवल पैदल संचालन है। किसी भी मामले में ऐसे विज्ञापन यातायात (केवल सरकारी परिवहन वाहनों पर चिपकाए गए विज्ञापनों के सिवाए) के लिए अनुमत है। किसी मोटर वाहन अर्थात ट्रेलर विज्ञापन पर ओ एम डी अनुज्ञात नही किए जायेंगें।

(ख.) यह अनुमति मानदण्ड यातायात प्रबन्धन/सूचना के लिए सड़क प्राधिकरणों द्वारा प्रयुक्त परिवर्तनशील संदेश प्रदर्शन को लागू करने के लिए आशयित नहीं है। बस अड्डे या समरूप स्थानों पर स्थित परिवर्तनशील संदेश प्रदर्शन जहां संदेश पैदल यात्रियों (मोटरचालकों के लिए नहीं) पर निर्दिष्ट है, तथा के लिए आशयित शामिल नहीं है।

(vi) विज्ञापन साधन विषय–वस्तु

नगर निगम सामान्यतः न्यूनतम विज्ञापन मानक लागू करने के लिए विज्ञापन उद्योग में स्वतः विनियामक नियन्त्रण पर विश्वास रखेगा। इस प्रस्ताव के होते हुए भी, नगर निगम ओ.एम.डी के किसी विज्ञापन को संशोधित करने या हटाने के लिए कार्रवाई कर सकता है जो विज्ञापन उद्योग की नीति शास्त्र संहिता के उल्लंघन में हो (उपनियम 12(3) में उपबन्धित नकारात्मक विज्ञापनों की सूची संदर्भित या जो यातायात बाधा का अन्यथा कारण बनता हो।

(vii) सुवाच्यता

(क.) ओ.एम.डी (ओ.एम.डी से भिन्न जो पैदलयात्रियों पर निर्दिष्ट हैं) के सभी प्रवर्गो के लिए, ओ.एम.डी के मुख पर अवतरण घटक यात्रा करने वाले मोटरचालकों के लिए आसानी से इन्द्रियगोचर होने चाहिए। यह चालक की घबराहट को कम करेगा। इसके अतिरिक्त चिह्न शीघ्र तथा आसानी से समझने वाले होंगे ताकि दर्शक को अपेक्षित विज्ञापन संदेश सूचित किए जा सकें तथा घबराहट के समय को कम कर सकें।

(ख.) ओ.एम.डी पैनल पर प्रदर्शित विषय–वस्तु या लेखा चित्र–कला अभिन्यास पढने में कठिनाई से बचाएगी तथा अधिचित्र जटिल नमूना आकृति से बचाएगा तथा अक्षर शैली उचित होगी। किन्ही भी परिस्थितियों में सूचना वाले साधन अवतरण आकारों में नहीं होने चाहिए, जो चालक या गतिमान वाहन के यात्री को रूकने, पढने तथा/ या नोट करने आवश्यक होंगे, जो यातायात के निर्बाध बहाव तथा चालक को विभ्रान्त करने में हानिकारक हो।

(ग.) सभी ओ.एम.डी इस प्रकार से डिजाईन किए जाएंगे कि उन्हें सादृश्य रखा जा सके, जहां, साधारण नियम के अनुसार, अक्षर जब तक नगर निगम द्वारा अन्यथा अनुमत न हो, तब तक अक्षर ओ.एम.डी क्षेत्र के 20 प्रतिशत से अधिक के क्षेत्र में दिखाई नहीं देना चाहिए।

3. स्थापना, संचालन तथा अनुरक्षण विकास मानदण्ड

(1) निम्नलिखित मानदण्ड भी लागू होंगे :–

(i) निर्माण, अनुरक्षण तथा परिवर्तन गतिविधियों के लिए ओ.एम.डी को सुरक्षित पहुंच उपलब्ध होगी।

(ii) ओ.एम.डी तथा आस–पड़ोस के क्षेत्रों को स्वच्छ तथा साफ–सुथरी अवस्था में रखा जाएगा।

(iii) अप्राधिकृत वृक्षहीन क्षेत्र, पेड़–पौधों की छंटाई करना, कटाई तथा जलाना या वनस्पती का अन्यथा हटाना या विनाश करना अनुमत नहीं है।

(iv) यानीय तथा पैदल यातायात को अनुग्राही बनाने के अलावा, सड़क आरक्षण उपयोग सेवाओं के लिए कोरीडोर हैं जैसे कि बिजली, दूरसंचार, गैस, वर्षा पानी, जल आपूर्ति तथा सिवरेज (मलजल)। इन सेवाओं के स्थान सड़क आरक्षण के भीतर इन सेवाओं को स्थापित करने के लिए उनके अपने विधायी अधिकार सहित अन्य अभिकरणों द्वारा ज्ञात है।

(v) नगर निगम सभी भूमिगत सेवाओं के सही स्थान को नहीं जानता। स्वामी किए जाने वाले स्थल कार्यो पर कोई उत्खनन या निर्माण करने से पूर्व सम्बन्धित प्राधिकरणों से समन्वय करने, सूचना देने तथा संसूचित करने के लिए जिम्मेवार है। कोई दायित्व, विलम्ब या दुर्घटना जो घटती है, की सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्वामी की है तथा किसी भी रूप में नगर निगम करार या इस उप–विधियों में नियत सहायता, समर्थन, बातचीत करने या किसी शर्त को हटाने के लिए दायी नहीं होगा।

(vi) ओ.एम.डी के स्वामी यह सुनिश्चित करने के लिए एक मात्र जिम्मेवार हैं कि किसी ओ.एम.डी के निर्माण, अनुरक्षण, परिवर्तन तथा कार्यवाही के दौरान, साधन सड़क आरक्षण के भीतर सेवाओं या अन्य बातों के प्रतिकूल नहीं होगा।

(vii) नगर निगम उपयोगिता सेवाओं जैसे कि बिजली, दूरसंचार, गैस, वर्षा पानी, जल आपूर्ति तथा मलजल (सीवरेज) द्वारा किए गए कार्य को सुकर बनाने के लिए या सड़क को चौड़ा करने के लिए किसी ओ.एम.डी को या तो बदलने या पूर्णतया हटाने के लिए स्वामी को कह सकता है।

4. संरचना

(1) ओ.एम.डी संरचना यन्त्र संरचनात्मक इंजीनियरी के क्षेत्र में व्यवसाय करने वाले किसी संरचनात्मक इंजीनियर द्वारा प्रमाणित होंगे। यह अपेक्षा विशिष्ट दृष्टान्तों को लागू नहीं है जहां ओ.एम.डी संरचना के बाहरी हिस्से से सीधे रूप से चिपकाए गए विज्ञापन के रूप में है अर्थात् वाहन, दीवार आवरण पर चिपकाया गया स्टीकर।

(2) यह प्रमाणन सम्बन्धित भारतीय संरचनात्मक डिजाईन मानक, व्यवसाय संहिता तथा इस मार्गदर्शक की शर्तो सहित डिजाईन का अनुपालन प्रदान करता है। नींव अत्यधिक हवा अवस्था, भूकम्प, क्षमता वाली मिट्टी इत्यादि के अनुसार डिजाईन की जाएगी तथा जांच की जाएगी।

(3) सहायता संरचना चकाचौंध रोकने के लिए अपरावर्तक परिष्कार की होगी।

(4) ओ.एम.डी संरचना भली–भान्ति अनुरक्षित होगी। ऐसे रंग से रंगी जाएगी जो आस–पड़ोस क्षेत्र से संगत हो, तथा उसको बढ़ाता हो।

(5) सरकारी सड़क फर्नीचर जैसे कि सरकारी चिह्नों तथा चित्रक मार्गदर्शन स्तम्भों को ओ.एम.डी की सहायता संरचना के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाएगा।

(6) ओ.एम.डी लाईसैंस धारक का नाम, लाईसैंस की संख्या/मीडिया साधन पहचान संख्या इत्यादि ओ.एम.डी पर सहजदृश्य स्थिति में रखी जाएगी जो नगर निगम द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जा सकेगी।

5. विद्युत कनैक्शन

(1) ओ.एम.डी के विद्युत कनैक्शन सम्बन्धित भारतीय मानकों को पूरा करेंगे।

(2) ओ.एम.डी के विद्युत कनैक्शन यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाईन किए जाएंगे कि यहां कोई भी सुरक्षा या यातायात जोखिम नहीं है।

(3) ओ.एम.डी के विद्युत कनैक्शन आकस्मिक पछाड़ की घटना में सुरक्षित के रूप में डिजाईन किए जाएंगे।

(4) रजिस्टर्ड हस्ती बिजली उपभोक्ता है तथा वह अपने स्वयं के नाम से प्रदीप्त प्रदर्शन करने के लिए सम्बन्धित बिजली वितरण कम्पनी से बिजली कनैक्शन प्राप्त करने के लिए बिजली कनैक्शन हेतु आवेदन करेगा, जिसके लिए नगर निगम/सम्बन्धित भूमि स्वामित्व रखने वाला अभिकरण स्वामी के अनुरोध पर अनापत्ति प्रमाण पत्र मुहैया करवाएगा।

(5) विद्युत कनैक्शन तथा आपूर्ति के लिए कोई प्रभार प्रत्यक्ष रूप से रजिस्टर्ड हस्ती द्वारा उपगत किए जाएंगे। स्वीकृति/बिल व्यवस्था के लिए बिजली प्रदायक के पत्र की एक प्रति नगर निगम को प्रस्तुत की जाएगी।

(6) विद्युत संस्थापना कार्य सम्बन्धित बिजली विनियम तथा लिखित नियमों तथा सम्बन्धित बिजली प्रदायक की अपेक्षाओं के अनुसार अनुज्ञप्त इलैक्ट्रीकल कर्मकार द्वारा किया जाएगा।

(7) उपयुक्त रोधन तथा संरक्षण उपकरण तथा प्रक्रिया या तो ओ.एम.डी या सड़क प्रकाश सर्किट संरक्षण अनुरक्षण तथा कार्यरत सेवा कार्मिक के संगत होगी। भूयोजन (अरथिंग) के लिए एक पृथक मिट्टी इलैक्ट्रोड का प्रयोग किया जाएगा, तथा सक्रिय तथा निशंवेशित चालक केवल आपूर्ति बिन्दु से आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किया जाएगा।

(8) खाका योजना स्थान जहां से बिजली विभिन्न अन्य आनुषंगिक अपेक्षाओं की स्थिति सहित प्राप्त की जा रही है, दर्शाते हुए सरकारी प्राधिकरण को उसी क्षेत्र में पेशा करने वाले अर्हक विद्युत इंजीनियर द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित, प्रस्तुत की जाएगी।

(9) विद्युत ठेकेदार के जांच प्रमाण–पत्र की प्रति नगर निगम को मुहैया कराई जाएगी। स्वीचिंग यन्त्र विद्युत प्रदायक द्वारा अनुमोदित किस्म का होगा। विद्युत घटक सम्बन्धित भारतीय मानकों के अनुसार होगा।

6. विविध

(1) आवाज, गन्ध इत्यादि द्वारा संचारण करने वाले ओ.एम.डी अनुमत नहीं हैं।

(2) किसी बाहरी विज्ञापन साधन की चित्रावली के लिए बिजली मुहैया कराने हेतु शोर, वायु या जल प्रदूषण करने वाला डीजल/पैट्रोल/मिट्टी तेल या किसी बायो ईंधन से चलने वाला कोई भी जरनेटर अनुज्ञात नहीं होगा।

7. गैर–अनुज्ञेय बाहरी विज्ञापन की सूची

(1) पोस्टर

(2) बैनर

(3) पिलरों पर विज्ञापन/तोरण से बंधा साधन

8. सरकारी परिवहन सेवा/गली फर्नीचर पर ओ एम डी (प्रतिकात्मक व्याख्या 'क')

(1) बस तथा मध्यमवर्ती सरकारी परिवहन (आई पी टी) आश्रय।

कम संख्या	**ओ एम डी विशेषता**	**अधिकतम अनुमत आकार (मीटरों में)**
1.	आश्रय की छत पर ओ एम डी	i. एक अग्र पैनल 9 X 0.3 ii. दोंनो तरफ पैनल 3 X 0.3
2.	आश्रय के ढ़ांचे पर ओ एम डी	i. सड़क के समानान्तर एक पिछला पैनल – 9 X 1.2 ii. एक खम्बे पर चिपकाया हुआ पिछला लिट पैनल – 1.8 X 1.2

(i) यात्री परिवहन आश्रय का अभिगम सिरा पंहुचने वाले यात्री परिवहन वाहन की अधिकतम दृश्यता सहित प्रतिक्षित यात्रियों को मुहैया कराने के लिए खुला रहेगाा।

(2) बस तथा मध्यमवर्ती सरकारी परिवहन (आई पी टी) मार्ग निशान।

कम संख्या	**ओ एम डी विशेषता**	**अधिकतम अनुमत आकार (मीटरों में)**
1.	मार्ग निशान के दोनों तरफ की ओ एम डी स्थान	i. 1.2 X 2.0 (उंचाई) ii. 0.2 X 2.0 दोनों तरफ बस सम्बन्धित सूचना के लिए आरक्षित होगी।

(3) फुट ओवर सेतु के लिए विज्ञापन विनियमन मानदंडः

(i) विज्ञापन सिर्फ पारदर्शी स्वभाव के, मार्ग के भीतरी दीवार पर तथा मार्ग की उपरी सतह से 0.5 मीटर की उच्चतम उचाई तक ही अनुमत किए जाएंगे। सभी परिस्थितियों में, मार्ग पर होने वाली गतिविधियां हर दिशा से सार्वजनिक तथा स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए ।

(ii) सड़क से दिखने वाली विज्ञापन, फुट ओवर सेतु के उस तरफ लगाने की अनुमति दी जायेगी जहां से आने वाले यातायात को दिखाई नहीं दे तथा फुट ओवर सेतु की छत के उपर लगाये जायेंगे।

(4) सार्वजनिक शौचालय ब्लॉक तथा साईकिल स्टेशन

कम संख्या	**ओ एम डी विशेषता**	**अधिकतम अनुमत आकार (मीटरों में)**
1.	सतह तरफ ओ एम डी के लिए अधिकतम स्थान	• ब्लॉक के कुल सतह क्षेत्र का 70% • शहर नक्शे/प्रतिवेश नक्शे/मार्ग नक्शे सहित कम से कम 1.8 X 1.2 का अतिरिक्त पीछे का लिट पैनल भी मुहैया कराया जाएगा
2.	• किसी भी मामले में ओ.एम.डी की उंचाई संरचना की मुंडेर (पैरापैट) से अधिक नहीं होगी। • सार्वजनिक शौचालय के मामले में जल भण्डारण टैंक उचित रूप से छिपाया जाएगा तथा जनता को दृश्य नहीं होगा।	

(5) सार्वजनिक उपयोगिता फर्नीचर–बूथ (अर्थात् पुलिस बूथ, टेलीफोन बूथ इत्यादि)

कम संख्या	**ओ.एम.डी विशेषता**	**अधिकतम अनुमत आकार (मीटरों में)**
1.	सतह पर ओ.एम.डी के लिए अधिकतम स्थान	• बूथ के तीनों तरफ का कुल सतह क्षेत्र का 70 प्रतिशत। • बूथ के पिछली तरफ ओ.एम.डी अनुमत नहीं है। • बूथ के शीशे के सतह पर (प्रकाश तथा संवातन के लिए) ओ.एम.डी अनुमत नहीं है।

(6) सार्वजनिक उपयोगिता फर्नीचर – बैठने के बैंच तथा कुड़ा कचरा घानी (बिन)

कम संख्या	**ओ.एम.डी विशेषता**	**अधिकतम अनुमत आकार (मीटरों में)**
1.	ओ.एम.डी के लिए अधिकतम स्थान	• नगर निगम द्वारा निश्चित कुल सतह क्षेत्र का प्रतिशत। • ओ.एम.डी केवल पैदल मार्ग के सामने होगा।

साधारण टिप्पण :–

(i) ओ.एम.डी पैनल अतिरिक्त प्रक्षेपित ब्रेकेट (बैठने के बैच तथा कूड़ा कचरा धानी के सिवाए) के बिना बैकलिट होगा।

(ii) अनिश्चित चित्र, निआन, परिवर्तनशील एल.ई.डी, चित्र कोलोर का बदलना, चमकीली लाईटें अनुमत नहीं है।
(iii) अधिमानतः बी.ओ.टी आधार पर विकसित किया जाना है, जहां विद्यमान अवसंरचना के लिए बी.ओ.टी सम्भव नहीं है, वहां सुखसुविधा के रखरखाव के लिए विज्ञापन स्थल बोली से निकाल दिया जाएगा जोकि बोलीदाता पर बाध्यकारी होगा।
(iv) ओ एम डी की स्थापना के लिए संरचना के सँवातन तथा प्राकृतिक प्रकाश के लिए कोई समझौता नही किया जाएगा।
(v) बस तथा आई पी टी आश्रय, शोचालय ब्लॉक, साईकिल स्टेशन, उपयोगिता बूथ तथा सार्वजनिक उपयोगिता बैठने के बैंचो के स्थानों की नगर निगम द्वारा पहचाना जाएगा।
(vi) ओ एम डी यानीय तथा पैदल यातायात के बहाव में काई बाधा नही करेगा।

9. सरकारी परिवहन प्रणाली पर ओ एम डी (प्रतोकात्मक व्याख्या 'ख')

(1) सरकारी परिवहन प्रणाली में, ओ एम डी गाड़ियों, स्टेशनों आश्रयों, फुटओवर पुलों तथा अन्य सम्पत्तियों (सडक के बीच तथा किनारे, संरचनात्मक खम्बों/सतम्भों पर के सिवाए) पर अनुमत है।
(2) ओ एम डी के स्थान की नगर निगम के परामर्श से सरकारी परिवहन स्वामित्व द्वारा पहचान की जाएगी। इनकी पहचान मामले से मामले के आधार पर की जाएगी।
(3) अनुज्ञात ओ एम डी प्रतीकात्मक व्याख्या के अनुसार उप–विधियो में कथित विशिष्टियों का पालन करेगी तथा केवल सड़क सुरक्षा परामर्श में आसक्त तीसरे पक्ष द्वारा अंकेक्षित करवाई जाएगी। किसी भी मामले में तीसरा पक्ष (या इसकी सिस्टर कम्पनी) विज्ञापन प्रदर्शन कारबार में आसक्त नही होगा।
(4) यातायात रोक

क्रम संख्या	ओ एम डी विशेषता	अधिकतम अनुमत आकार (मीटरों में)
1	रोक के दोनों तरफ पर ओ एम डी के लिए अधिकतम स्थान।	• अधिकतम लम्बाई – 0.6 • अधिकतम ऊंचाई – 0.3

10. प्रतीकात्मक व्याख्या 'ग' तथा 'घ' ओ एम डी के लिए प्ररूपी विज्ञापन यन्त्र परिमाप (दीवार आवरण के सिवाए)।

वर्णन	माप (मीटरो में)	क्षेत्र (वर्ग मीटरों में)	अधिकतम उंचाई (मीटरों में)
लघु चित्र	3 X 4.5	13.5	7.5
पोस्टर	6 X 3	18	10
सुपर 8′ एस	8.22 X 2.26	18.6	10
चित्र	4 X 6	24	10
सुपरसाईट	12.66 X 3.35	42.4	12.5
चमत्कारिक	18.99 X 4.45	84.5	12.5
गंत्री	1 X सड़क की चौडाई	सड़क की चौडाई के अनुसार भिन्न	1.0

(1) नगर निगम सुनिश्चित करेगा की पूर्वोकत आकार शहर में अधिक सौन्दर्य लाने के लिए बढाते हुए प्रयुक्त किए जाते है। रजिस्टर्ड हस्ती पूर्वोकत मानक परिमाप का प्रयोग करेगा।
(2) ऐसे मामलों में जहां कोई निर्माण नही किया गया है या थोड़ा निर्माण किया गया है, तो केवल उपरोक्त विनिर्दिष्ट आकार के यूनिपोल तथा सूचना–पट्ट अनुमत किए जाएंगे।
(3) नगर निगम द्वारा स्वागत संकेत तथा सामाजिक संदेश देने के लिए ढ़ाचे केवल विभक्त परिवहन मार्ग सहित नगरपालिका सड़क पर ही अनुमत होंगे। प्रवर्तक ओं एम डी ढ़ांचे के दूसरी तरफ पर अर्थात् आने वाले यातायात की विपरित दिशा पर प्रदर्शित किए जाएंगे। सड़क तथा ढांचे की निम्नतम सतह के बीच स्पष्ट दूरी 8 मीटर से कम नहीं होगी।
(4) रिक्त ओ एम डी पर, सम्पूर्ण स्थान को कवर करने के लिए मोबाईल नम्बर अनुमन नही होंगे। मोबाईल नम्बर ओ एम डी के कुल स्थान के 1/10 वें भाग में दिए जाएंगे।

11. विज्ञापन परिसरों पर अधिकतम अनुज्ञेय क्षेत्र।

(1) भवन के प्रत्येक अग्रभाग पर विज्ञापन परिसरों (भवन तथा भूमि सहित) पर उपलब्ध अधिकतम अनुज्ञेय क्षेत्र, सार्वजनिक गली/सड़क से दृश्य क्षेत्र नीचे दी गई तालिका के अनुसार होगाः–

क्रम संख्या	भवन की किस्म	कुल क्षेत्र का अधिकतम अनुज्ञेय क्षेत्र (भवन के प्रत्येक अग्रभाग पर)
1.	शापिंग माल, कारपोरेट आफिस, दुकान/शापिंग काम्पलैक्स	20 प्रतिशत
2.	स्वयं नियोजित कार्यालय अर्थात् स्वयं विज्ञापक (कार्यालय/ दुकान संकेतक)	2 प्रतिशत

(i) दीवार आवरण 75 प्रतिशत की प्रारदर्शिता सहित सामग्री वाले भवन में प्राकृतिक रोशनी (प्रकाश) अनुज्ञात होगी।
(ii) ओ एम डी की ऊँचाई भवन की ऊँचाई के अनुसार प्रतिबन्धित है, जो निम्न अनुसार हैः–

क्रम संख्या	भवन की ऊँचाई	ओ एम डी की अधिकतम ऊँचाई
1.	तीन मंजिलों तक (15 मीटर तक)	8 मीटर
2.	चार से आठ मंजिला (15 से 36 मीटर)	12 मीटर
3.	आठ मंजिला से अधिक (36 मीटर से अधिक)	15 मीटर

परन्तु कोई खुलने वाला दरवाज़ा/ खिड़की को कवर नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, विज्ञापन ईमारत के बुनियादी वास्तु खास, विशेषताएं (जैसे मेहराब, कॉलम, आलो, प्रक्षेप, आदि), मानक अगवाड़ा (प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित) और आकार को खराब नहीं करेगा।

12. घटनाओं के लिए ओ एम डी (प्रतीकात्मक व्याख्या 'ड')

(1) ये ओ एम डी केवल घटनाओं के लिए लगाई जाएगी, जैसे कि सम्मेलन, मनोरंजन घटनाएं, प्रदर्शनी इत्यादि तथा नगर निगम द्वारा केवल अस्थायी संरचना पर अनुमत होगी।
(2) ये ओ एम डी इस उप–विधि के किन्ही उप बन्धों का उल्लंघन नहीं करेगी।

(3) ये ओ एम डी घटना से 30 दिन पूर्व लगाई जाने के लिए अनुमत की जाएगी तथा घटना की समाप्ति के 24 घन्टों के भीतर हटाई जाएगी।

(4) इन ओ एम डी के लिए फीस नगर निगम द्वारा निश्चित की जाएगी।

(5) उप–विधि के उपबन्धों का उल्लंधन करने के लिए तथा घटना की समाप्ति के बाद ओ एम डी नही हटाने के लिए दण्ड प्रभार दैनिक आधार पर प्रभारित किए जाएंगे।

13. परिदृश्य विज्ञापन के लिए ओ एम डी (प्रतीकात्मक व्याख्या 'च')

(1) परिदृश्य ओ एम डी केवल तीन वर्ष से कम आयु तथा/या चार मीटर से कम ऊँचाई के वृक्षों को कवर करने के लिए वृक्ष रक्षक पर अनुमत है।

(2) वृक्ष रक्षक 1.2 से 1.5 मीटर सिरे तथा 1.5 मीटर की ऊँचाई सहित वर्गाकार का होगा।

क्रम संख्या	ओ एम डी विशेषता	अधिकतम अनुमत आकार (मीटरों में)
1.	ओ एम डी के लिए अधिकतम स्थान रक्षक के प्रत्येक सिरे पर वर्ग प्लेट होगी।	• अधिकतम लम्बाई– रक्षक की चौडाई के बराबर • अधिकतम ऊँचाई–0.9 • ओ एम डी का निचला भाग भूमि से 0.3 मीटर ऊंचा होगा।

14. स्वयं विज्ञापन (प्रतीकात्मक व्याख्या 'छ')

(1) स्वयं विज्ञापन की विषय–वस्तु कार्यालय/ दुकान के स्वामी द्वारा केवल कार्यालय/दुकान संकेतक की सीमा तक अनुमत है। कोई भी तीसरा पक्ष विज्ञापन स्वयं विज्ञापन पर/के साथ अनुमत नहीं होगा।

(2) स्वयं विज्ञापन भवन बोर्ड, दीवार आवरण के रूप में भवन के मुख/अग्रभाग के कुल क्षेत्र के केवल 2 प्रतिशत पर अनुमत है।

(3) दुकानों के मामले में, स्वयं विज्ञापन बोर्ड की ऊँचाई एक मीटर तक सीमित है तथा चौड़ाई भवन की चौड़ाई तक सीमित होगी, दुकान की सरदल उंचाई से ऊपर लगाई जाएगी। शापिंग काम्पलैक्स, सभी दुकानों में स्वयं विज्ञापन बोर्ड की स्पष्ट उंचाई में एकरूपता रखी जाएगी।

(4) स्वयं विज्ञापन बोर्ड भवन के अग्रभाग से 150 एम.एम. से बाहर निकला हुआ नहीं होगा।

(5) स्थिर छतरी (क्योिस्क) या ठेले पर फेरीवाले द्वारा स्वयं विज्ञापन 3 मीटर x 1 मीटर के परिमाप सहित 3 वर्गमीटर तक सीमित है।

(6) रिक्शा के लिए स्वयं विज्ञापन रिक्शा के पीछे तथा दोनों तरफ के 1 मीटर x 0.5 मीटर पैनल सहित 1.5 वर्गमीटर तक सीमित है।

(7) भू–ओ.एम.डी., आर.ओ.डब्ल्यू तथा पैदलमार्ग पर अनुमत नहीं होगा।

(8) भू–ओ.एम.डी का आकार 2 मीटर x 1 मीटर आकार सहित 2 वर्गमीटर तक सीमित अधिकतम आकार सहित आर.ओ. डब्ल्यू से दूर प्रत्येक मीटर की दूरी के लिए 0.3 वर्गमीटर होगा।

15. नवीनतम ओ.एम.डी (प्रतीकात्मक व्याख्या 'ज')

(1) नवीनतम ओ.एम.डी जैसे कि एल ई डी, एल सी डी, फुलाने योग्य या गैस गुब्बारे ओ.एम.डी तथा अन्य ऐसे मीडिया के लिए विशेष अनुमति प्राप्त की जानी अपेक्षित होगी।

(2) यह अनुमोदन विनिदिष्ट अवधि के लिए होगा, तथा इन उप–विधि 6 के अनुसार होगा।

(3) चालन करते समय चालक पहली दृष्टि में सड़क से चिह्न की विषय–वस्तु को पढ़ेगा, तथा फिर वापस सड़क पर देखेगा। एल ई डी चिह्न (रंग परिवर्तन के बिना) भवन आकृति (अग्रभाग) पर विज्ञापन के स्वीकार्य फारमैट में है चूंकि ये विशिष्ट ब्राण्ड नामों का निरूपण करने के लिए अनुमानित है तथा उच्च दृश्य सूचना वाले नहीं होते हैं।

(4) तथापि, एल सी डी/एल ई डी स्क्रीन जो विशिष्ट रूप से लेखा–चित्रकला तथा दृश्य प्रतिकृति की हैं, वे मार्किट क्षेत्रों, पार्किंग स्थानों, पार्को, भ्रमण मार्ग, मुख्यतः यातायात के यानीय संचलन के सामने न हों, में प्रतिबन्धित होंगी।

(5) इसके अतिरिक्त, वाई–फाई होटस्पोट, मोबाईल टैलीफोनी ऐनटिना/ टावरों के वितरण के लिए ओ.एम.डी का प्रयोग विशेष परियोजना रिपोर्ट के आधार पर अनुमत होगा।

(6) पूर्वोक्त के अतिरिक्त, अन्य मानदण्ड निम्नलिखित होगें:–

(i) प्रदर्शन के भीतर संचलन की प्रायिकता तथा प्रसार तथा रंग परिवर्तन।

(ii) ओ.एम.डी केवल वहां लगाए जाएंगे जहां अपेक्षित चिह्न दृश्यता समय विशेष परिसर के लिए सुरक्षा समस्या का परिणाम न हो।

(iii) चिह्न पढने के लिए पर्याप्त अग्रिम दृश्यता हो।

(iv) परिसर चालक निर्णय बिन्दुओं से मुक्त हो तथा वहां सरकारी यातायात चिह्न में कोई होड़ न हो।

(v) साधन कोई गतिमान ओ.एम.डी न हो।

(vi) लम्बी अवधि प्रदर्शन मीयाद चालक घबराहट को कम करने तथा गतिविधि को समझने की मात्रा को कम करने का उद्देश्य अधिमत है। प्रत्येक स्क्रीन कम से कम 8 सैकेण्ड की प्रदर्शन अवधि की होगी। परिवर्तन करने के लिए क्रमिक प्रदर्शन हेतु लिया गया समय 0.1 सैकेण्ड में होना चाहिए।

(vii) सम्पूर्ण स्क्रीन प्रदर्शन तत्काल प्रतिवर्तित होगा। प्रदर्शन परिवर्तन का ढ़ंग जैसे कि "फ्लाई ईन" या "स्कोल", या सन्देश परिवर्तन की कोई अन्य किस्म अनुशंसित नहीं की गई हैं।

(viii) क्रमिक संदेश सेट अनुज्ञात नहीं है :

(ix) समय सीमा समय–समय पर पुनरीक्षित की जाएगी।

(7) गैस गुब्बारे या फुलानेयोग्य ओ.एम.डी के लिए अनुमति निम्नलिखित मानदण्डों पर दी जाएगी, अर्थात्:

(i) गैस गुब्बारे ओ.एम.डी खुले क्षेत्रों में तथा स्थिर स्थिरक सहित भूमि के साथ लगाए तथा लटकाएं जाएंगे।

(ii) इनकी अग्नि सुरक्षा के बारे में अनापत्ति प्रमाण पत्र अग्निशमन अधिकारी से ली जाएगी।

(iii) गैंस गुब्बारे ओ.एम.डी बहुत उंचे उठे हुए भवन/ उच्च वोल्टेज लाईनों/ विद्युत टावरों के निकट तथा निकटतम भवन/ उच्च वोल्टेज लाईनों/ विद्युत टावरों से इनकी दूरी गैस गुब्बारे की कुल उंचाई से डेढ गुणा (1.5 गुणा) होगी।

(iv) फुलाने योग्य ओ.एम.डी हवा से ही फुलाए जाएंगे (किसी प्रकार की गैस की अनुमति नहीं है)

(8) पॉलिसी नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए खुली होगी बशर्ते कि वे किसी सामान्य अनुमति मानदण्ड के उल्लंघन में न हों, तथा नगर निगम द्वारा भी अनुमोदित होंगी। किसी ऐसे माध्यम को लागू करने से पूर्व नगर निगम से अनुमति ली जाएगी।

16. अनुमति मानदण्ड

(1) सभी परिसरों में ओ.एम.डी/कारबार/व्यापार चिह्न वाणिज्यिक क्षेत्रों में तथा संस्थागत क्षेत्रों के भीतर प्राधिकृत

कारबार/व्यापार स्थापनाओं में प्रतिबन्धित होगें।

(2) ओ.एम.डी–आवासीय क्षेत्रों में अनुमत नहीं है तथापि, आवासीय क्षेत्र में वाणिज्यिक घटक (अर्थात् आस–पड़ोस का बाजार स्थान) में ओ.एम.डी अनुमत हैं। ओ.एम.डी पूर्ण रूप से केवल बाजार के अग्रभाग में होगी तथा किसी भी परिस्थिति में आवासीय क्षेत्र के अग्रभाग में नहीं होगी।

(3) ओ.एम.डी राष्ट्रीय राजमार्ग के आर.ओ.डब्ल्यू में अनुमत नहीं है, जोकि समय–समय पर हिदायतों के माध्यम से भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विनिदिष्ट अपवादों के अध्यधीन है।

(i) यदि एन.एच.ए.आई. नगर निगम के भीतर पड़ने वाली इसकी सम्पत्ति पर विज्ञापन लगाने के लिए किसी विज्ञापन एजेंसी को अनुमति देता है, तो विज्ञापन कम्पनी को नगर निगम में अपने आपको रजिस्टर्ड कराना होगा।

(4) ओ.एम.डी राज्य राजमार्ग या किसी अन्य सड़क के आर.ओ.डब्ल्यू के भीतर अनुमत नहीं होगा।

(5) परिसर में प्रदीप्त ओ.एम.डी कम से कम 12 मीटर चौड़ाई सहित गली में आवासीय क्षेत्रों के सामने दुकानों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में अनुमत नहीं हैं।

(6) ओ.एम.डी किसी भी रूप में वृक्षों या झाड़ियों में नहीं लगाए जाएंगे।

(7) कोई भी व्यापार तथा कारबार चिह्न, संदेश, पोस्टर या किसी स्वरूप की मुद्रित सामग्री किसी समर्थित कालम, स्तम्भ या खम्भे पर नहीं चिपकाई जाएगी।

(8) परिसर में ओ.एम.डी किसी रूप में किसी पैदल संचलन (अनुलम्ब रूप से तथा पार्श्व रूप से), अग्नि बचाव, दरवाजा तथा खिड़की खोलने में बाधा नहीं डालेगा।

(9) परिसर में ओ.एम.डी किसी भी रूप या रीति में प्रकाश तथा संवातन के लिए अपेक्षित द्वार में बाधा नहीं डालेगा।

(10) किन्हीं भी परिस्थितियों में परिसर में ओ.एम.डी बाधा डालने या किसी पारदर्शी/पारभासी सतहों/द्वार के सामने की रूपरेखा बदलने के लिए स्थान निर्धारित नहीं किया जाएगा।

(11) गैर–प्रदीप्त पारदर्शी/पारभासी चिह्न किसी भी स्तर के पारदर्शी/पारभासी बाहरी सतहों पर अनुमत किया जाएगा।

(12) कोई भी व्यापार तथा कारबार चिह्न किसी भी रूप या रीति में अपेक्षित अग्नि सुरक्षा परिवहन/निकास स्थान तथा विहित मानकों में बाधा नहीं डालेगा।

(13) सभी परिसरों पर ओ.एम.डी किसी भी परिस्थिति में परिसरों के भीतर की गई गतिविधि/गतिविधियों से भिन्न उनको प्रतिबिम्बित नहीं होगी।

(14) कोई भी ओ.एम.डी अतिरिक्त विज्ञापन–स्थल पर उपबन्धित, बेची गई या उपलब्ध उत्पादों या सेवाओं को ध्यान में रखे बिना परिसरों या स्थल के उपयोग के अनुमोदन से भिन्न उत्पाद या सेवा को उन्नत करने वाला नहीं होगा।

(15) सभी परिसरों पर ओ.एम.डी में निम्न अनुसार अपेक्षित अनिवार्य सूचना होनी चाहिए:

(i). व्यापार तथा कारबार का नाम

(ii). दुकान/परिसर संख्या

(16) सभी परिसरों पर ओ.एम.डी औचित्य, मर्यादा, सामाजिक मैत्री इत्यादि के बारे में प्रचलित विधियों के अनुरूप होगा।

(17) सभी ओ.एम.डी दृश्य रूप से रूचिकर होगा तथा डिजाईन विशेषता के उच्च स्तर को प्रदर्शित करेगा।

(18) सभी परिसरों पर ओ.एम.डी सतह/ इमारत/ भवन/ खुले क्षेत्रों के संरचनात्मक/ वास्तुशिल्पीय अनुशासन के सदृश होगा।

(19) किसी चिह्न का माप तथा अवस्थिति न केवल भवन जिसमें यह चिपकाया गया है, के अनुकूल होगा बल्कि निकटतम भवनों, गलियों तथा विद्यमान चिह्नों को भी विचार में लिया जाएगा।

(20) सभी परिसरों पर ओ.एम.डी में प्रयुक्त सामग्री गैर–प्रदूषण, अग्नि विरोधी तथा हानि प्रूफ होनी चाहिए।

(21) कोई नया चिह्न मीडिया साधन यह सुनिश्चित करने के लिए किसी भवन, स्थल या संलग्न गली स्केप पर विद्यमान चिह्न का विचार करेगा कि चिह्न दृश्य तथा/या भौतिक घाल–मेल को बढने नहीं देता है।

(22) केबल तथा नाली को चिह्न के दर्शन से तथा सभी कोणों से किसी सहायता संरचना को छिपाना होगा जिसमें गली स्तर तथा निकटतम उच्चतर भवन से तथा रूपरेखा (क्षितिज) के विरूद्ध दृश्यता शामिल है।

(23) किन्हीं भी परिस्थितियों के अधीन कोई भी चिह्न किसी अन्य चिह्न से समर्थित, लटका हुआ नहीं होगा या रखा नहीं जाएगा। प्रत्येक चिह्न स्वतः समर्थित या वास्तुशिल्पीय संरचना से सुरक्षित रूप से आबद्ध (फिक्सड) होगा।

(24) भवन की छत पर रंगे हुए या लगाए गए चिह्न अनुमत नहीं है। छत पर छत से निर्मित तथा/या लटकते हुए चिह्न भी अनुमत नहीं है।

(25) भवन की उपरी छत पर ओ.एम.डी अनुमत नहीं है।

(26) किसी भी परिस्थिति में भवन सतर पर ओ.एम.डी भवन की चौड़ाई से बाहर नहीं निकाला जाएगा।

(27) यातायात संकेत के उपरी सिरे, भूमि पर तैयार यातायात संकेत, उपरी यातायात संकेत, तथा भूमि पर तैयार यातायात संकेतों पर प्रदर्शित नहीं किए जाएंगे।

(28) ओ.एम.डी टैलीफोन/बिजली खम्बों/ट्रांसफार्मरों/उच्च संचारण लाईन टावरों पर अनुमत नहीं है।

(29) ओ.एम.डी सड़क कार्यस्थल के निर्माणजोन के 100 मीटर के भीतर लगाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जहां निर्माण चल रहा है।

(30) चिह्न सूचना कम से कम सौन्दर्य तथा यातायात सुरक्षा दोनों के हित में रखी जाएगी।

(i) जहां अधीनस्थ सूचना अनुज्ञात की गई है, वहां कारबार का नाम या उपयोग चिह्न पर प्रमुख संदेश होगा – कोई भी अनुपूरक (जैसा कि बाईलाइन, उत्पाद विशिष्टियों, विक्रय प्रस्तावों में) तथा अधीनस्थ सूचना (पते, टैलीफोन नम्बर तथा अन्य ऐसे ब्योरे) जिस पर यानीय खिंचाव के साथ चालकों का ध्यान जाता है, अनुज्ञात नहीं किए जाएंगे जैसा कि वे यातायात खतरा पेश करते हैं।

(ii) चिह्न अपरावर्तक होगें ऐसे कि वे मार्ग में चालकों पर चौंध तथा चकाचौंध न डालते हों। चिह्नों में शीशा पर्ण इत्यादि के रूप में परावर्तक सतह का प्रयोग नहीं किया जाएगा जैसा कि ऐसी सामग्री का प्रयोग यातायात में दृष्टि रूप से विघटनकारी है तथा आने वाले चालकों के लिए खतरनाक हो सकती हैं।

(iii) सभी अनुमत चिह्न भुगतानयोग्य उद्ग्रहण को आकर्षित करेंगे जो नगर निगम द्वारा रेखाचित्रित हैं।

(iv) विज्ञापन साधनों के लिए न्यूनतम अनुलम्ब निकासी नीचे तालिका में विनिर्दिष्ट की गई हैं:–

विज्ञापन साधन – न्यूनतम निकासी	
स्थान वर्णन	**न्यूनतम अनुलम्ब दूरी**
सामान्यतः (सभी प्रकार के विज्ञापनों के लिए)	2.5 मीटर, भूमि सतह के उच्चतम बिन्दु से साधन के सबसे नीचली सतह तक।
सड़क सतह से ऊपर (इसमें शोलडर तथा यातायात लेन शामिल हैं) या साधन के किसी भाग स्पष्ट जोन के भीतर (सुरक्षा घेरे में नहीं) या सुरक्षा	6.5 मीटर, भूमि सतह के उच्चतम बिन्दु से साधन के सबसे नीचली सतह तक।

घेरे के झुकाव के भीतर है यदि कोई सुरक्षा घेरा लगाया गया है। (उदाहरण.– गॅत्री तथा फुट ओवर सेतु)	
सड़क अवसंरचना से संलग्न (अर्थात् ओवरपास)	सूचना–पट्ट अवस्थित होना चाहिए ताकि विज्ञापन साधन का कोई भी भाग ओवरपास या तत्स्थानी अवस्थिति पर सहायक संरचना के नीचे न्यूनतम अनुलम्ब निकासी से निम्नतर न हो।

(v) विशिष्ट विज्ञापन साधन माप

वर्णन	माप (मीटरो में)	क्षेत्र (वर्ग मीटरों में)	अधिकतम उंचाई (मीटरो में)
लघु चित्र	3 X 4.5	13.5	7.5
पोस्टर	6 X 3	18	10
सुपर 8' एस	8.22 X 2.26	18.6	10
चित्र	4 X 6	24	10
सुपरसाईट	12.66 X 3.35	42.4	12.5
चमत्कारिक	18.99 X 4.45	84.5	12.5

(vi) नगर निगम अधिमान देगा कि उपर्युक्त आकार को शहर में अधिक सौंदर्य लाने में वृद्धि करने हेतु प्रयोग किए गए है। जहां तक संभव हो, स्वामी उपर्युक्त मानक माप में से किसी एक का प्रयोग करने की कोशिश करेंगे।

(31) किसी भी मामले में, ओ.एम.डी., आर.ओ.डब्ल्यू तथा पैदल मार्ग पर नहीं डाला जाएगा।

(32) जहां ये उप–विधियां मौन (निष्क्रिय) हैं, वहां आई.आर.सी–46–1972 में बताए गए उपबन्ध "सड़क किनारे विज्ञापन पर पॉलिसी" निर्दिष्ट की जाएगी।

17. अभिस्वीकृति ओ.एम.डी

(1) अभिस्वीकृति ओ.एम.डी में सम्पर्क सूचना, निदेशन, नारे, टैलीफोन नम्बर या इन्टरनेट पते नहीं होंगे। इसमें अभिस्वीकृति ओ.एम.डी पर रखे गए उनके अभिस्वीकृति लोगो (शब्द) होंगे। अभिस्वीकृति लोगो (शब्द) नीचे विर्निदिष्ट कुल ओ.एम.डी सतह क्षेत्र के एक तिहाई से कम होगी।

(2) हरितलान, भू–दृश्य द्वीप, पैदल/ साइकलिस्ट मार्ग तथा केन्द्रीय मध्यम पर अभिस्वीकृति ओ.एम.डी 0.2 वर्गमीटर क्षेत्र प्लेट तक प्रतिबन्धित होंगें तथा उनका स्थान 50 किलोमीटर प्रति घण्टा से कम गति सहित सड़क पर 15 मीटर से कम नहीं होगा। यदि यह गोलचक्कर पर है तो स्थापित परिधि लम्बाई के साथ अंतरालन लिया जाएगा तथा 800 एम.एम. तथा 250 एम.एम का मानक परिमाप बोर्ड लगाया जाएगा। लगाया गया संकेत किसी दिशा– स्तमक/विशाखन/चेतावनी संकेत को देखने में बाधा नहीं डालेगा। ऐसे संकेतक अभिस्वीकृति संकेतों के रूप में अर्हक हैं तथा केवल प्रायोजक की अभिस्वीकृति वाले होंगे तथा कोई भी तीसरा पक्ष विज्ञापन अनुमतन हीं होगा।

(3) स्वीकृति संकेत यातायात संकेतों सहित किसी अन्य यातायात नियंत्रण यन्त्र के सामने या पीछे, के निकटवर्ती या निकट सामीप्य में नहीं लगाए जाएंगे। संकेत निर्णय बिन्दुओं पर जहां सड़क उपयोग करने वालों का ध्यान अन्य यातायात नियंत्रण यन्त्रों, सड़क मार्ग ज्यामिति, या यातायात स्थिति जिसमें निकास तथा प्रवेश रैम्प, चौराहे, राजमार्ग–रेल ग्रेड क्रासिंग, टोल प्लाजा, अस्थाई यातायात नियंत्रण जोन तथा सीमित दृष्टि दूरी के क्षेत्र शामिल है, अधिक उचित रूप से संकेन्द्रित करता है। स्वीकृति संकेतों के बीच न्यूनतम अंतरालन 50 किलोमीटर प्रति घण्टा से कम गति सहित किसी सड़क पर 25 मीटर से कम नहीं होगी।

18. शामियाना ओ.एम.डी (भवन से प्रक्षेपित छतरी से लटेका) ऊंचाई में दो मीटर से अधिक नहीं होगा तथा इसका निचला भाग फुटपाथ से 2.5 मीटर से ऊपर होगा।"।

आनंद मोहन शरण
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।